पत्रांकः— 04 / NULM- 64/16......720....... / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः—

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत
(औरंगाबाद / छपरा / सहरसा / सासाराम / हाजीपुर / सिवान / बेतिया / मोतिहारी / किशनगंज / बक्सर / जहानाबाद / लखीसराय / नवादा / जमुई / अररिया / मधुबनी / सीतामढ़ी / गोपालगंज / सुपौल / समस्तीपुर / शेखपुरा / मधेपुरा / भभुआ / खगड़िया / अरवल / बांका / शिवहर / दानापुर / डेहरी / बगहा / जमालपुर।

पटना, दिनांकः ..16/3/17.........

विषयः— **दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन संस्था NASVI के द्वारा सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रताओं के भौतिक सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है **दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के **SUSV** घटक के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रेताओं का बॉयोमेट्रिक सर्वेक्षण का कार्य संस्था NASVI के द्वारा राज्य के 42 नगर निकायों में संपादित किया जा रहा है। **NASVI** द्वारा सर्वेक्षित शहरी फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित डाटा संबंधित सभी नगर निकायों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही अद्यतन सर्वेक्षित डाटा **SULM** की वेबसाईट **www.sulmbihar.in** पर भी अपलोड कराया जा चुका है जिसे नगर निकायों के द्वारा लॉग—ईन कर डाउनलोड किया जा सकता है। सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान—पत्र जारी करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर एजेन्सी का चयन किया जा चुका है। नगर निकायों के द्वारा सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के भौतिक सत्यापन के उपरान्त एजेन्सी द्वारा पहचान—पत्र की प्रिंटिंग का कार्य किया जाना है। अतः नगर निकायों से निम्नलिखित बिन्दुओं कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है :—

1. **SULM** की वेबसाईट **www.sulmbihar.in** पर उपलब्ध डाटा के आधार पर सभी सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं का भौतिक सत्यापन नगर निकाय के पर्यवेक्षण में **CMMU / NASVI** तथा **TLF** के सदस्यों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाय।
2. भौतिक सत्यापन के उपरान्त सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के सूची को निर्धारित समयावधि के भीतर दावे—आपत्ति प्राप्त करने हेतु नगर निकाय के नोटिस बोर्ड अथवा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. प्राप्त दावा—आपत्ति के निष्पादन के पश्चात फुटपाथ विक्रेताओं की सूची को **Town Vending Committeee (TVC)** से पारित कराकर सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जाय।
4. भौतिक सत्यापन एवं दावे—आपत्ति के प्राप्ति के उपरान्त सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं की सूची में यदि संशोधन की आवश्यकता है तो इसे विभाग / **PMC-NULM** को प्रतिवेदित किया जाय ताकि तदुनसार सूचनाओं को अद्यतन किया जा सके।

उपरोक्त बिन्दुओं पर समय सीमा के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,
15/3/2017
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।